"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2016 — माघ 23, शक 1937

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-1/आठ-परि./2016. — छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (क्रमांक 1 सन् 2016) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 15 फरवरी, 2016 को उस तिथि के रूप में नियत करती है जिस पर उक्त अध्यादेश प्रवृत्त होगा.

No. F 5-1/viii-Trans/2016. — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Ordinance, 2016 (No. 1 of 2016), the State Government, hereby, appoints the 15th February, 2016 as the date on which the said Ordinance shall come into force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.